रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932

No. 258] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010

सं. 08/(आर ई : 2010)/2009-2014

विषय : परिशिष्ट 25ग, परिशिष्ट 25घ तथा टिप्पणी के तहत क्रम सं. 9 में संशोधन के संबंध में ।

फा. सं. 01/94/180/1032/ए एम 10/पीसी-4 (ख).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड 1), 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1 "बैंक गारण्टी प्रपत्र" संबंधित परिशिष्ट 25ग की 'टिप्पणी' के तहत क्रम सं. 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

3. **"बैंक गारण्टी निर्यात (अनुमत निर्यात आदेश तिथि) की तारीख से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक वैध होगी। डीईपीबी स्कीम/प्रोत्साहन स्कीम के तहत एक आवेदन के मद्दे अनेक एस/बी प्रस्तुत करने के मामले में, 24 माह की अवधि, नवीनतम एस/बी की अनुमत निर्यात आदेश तिथि से होगी। रिवाल्विंग बैंक गारण्टी के मामले में, बैंक गारण्टी तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी अथवा गारंटर को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो, जैसा भी मामला हो ।"

2. "विधिक वचनबद्धता प्रपत्र" से संबंधित परिशिष्ट 25 घ की 'टिप्पणी' के तहत क्रम सं. 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

4. **"निर्यात की तारीख (अनुमत निर्यात आदेश की तारीख) से 24 महीने की समयावधि तक विधिक वचनबद्धता वैध होगी। डीईपीबी अथवा विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के तहत किसी विशिष्ट मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम के लिए आवेदन के मद्दे प्रस्तुत एस/बी की संख्या के मामले में, 24 माह की समयावधि, नवीनतम एस/बी की अनुमत निर्यात आदेश की तारीख से होगी। रिवाल्विंग विधिक वचनबद्धता के मामले में, विधिक वचनबद्धता तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो।"

3. परिशिष्ट 25घ के बाद उल्लिखित "बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता के निष्पादन के मामले में दिशा-निर्देश" के तहत क्रम सं. 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

9. "आवेदक के पास प्रत्येक आवेदन या रिवाल्विंग बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता के मद्दे बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करने का विकल्प रहेगा। रिवाल्विंग बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता एक विशिष्ट स्कीम तक सीमित रहेगी, जिसका तात्पर्य है कि उपरोक्त निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत एक निर्यातक/पार्टी के लिए अलग-अलग स्कीमों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए अलग से बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। एक क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गई बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता का उपयोग अलग-अलग आवेदनों के लिए अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता के लिए नहीं किया जा सकेगा। रिवाल्विंग बैंक गारण्टी/विधिक वचनबद्धता, तब तक वैध होगी जब तक कि नीति के अनुसार सरकार की संतुष्टि के तहत पार्टी के सभी दायित्व पूरी तरह व अन्तिम रूप से पूरे कर लिए गए हों और पार्टी अथवा गारंटर को लिखित रूप से इसकी सहमति दे दी गई हो जैसा भी मामला हो।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

पी. के. चौधरी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th Septemer, 2010

No. 08/(RE : 2010)/2009-2014

Subject : Amendment of Appendix 25C, amendment 25D and Sl. No. 9 under the Note—regarding.

F. No. 01/94/180/1032/AM10/PC-4(B).—In exercise of powers conferred under para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) 2009-2014:—

1. Sl. No. 3 under the 'Note' to Appendix 25 C related to "BG Format" stands replaced by the following:

3. ** "The Bank Guarantee shall be valid till the expiry of the time period of 24 months from the date of export (Let Export Order Date). In case of a number of S/Bs filed against one application under DEPB Scheme/Incentive Scheme, 24 months time period shall be from the LEO date of latest S/B. In case of Revolving BG, the BG shall remain valid till all the obligations of the party are fulfilled to the 'Full' and 'Final' satisfaction of the Govt. as per policy and till such written consent is communicated to the party or the Guarantor, as the case may be.

2. Sl. No.4 under the 'Note' to Appendix 25 D related to "LUT Format" stands replaced by the following :

4. ** "The LUT shall be valid for a time period of 24 months from the date of export (Let Export Order Date). In case of a number of S/Bs filed against one application either for DEPB or for any specific freely transferable Incentive Schemes under Chapter 3 of FTP, 24 months time period shall be from the LEO date of latest S/B. In case of Revolving LUT, the LUT shall remain valid till all the obligations of the party are fulfilled to the 'Full' and 'Final' satisfaction of the Govt. as per policy and till such written consent is communicated to the party."

3. Sl. No.9 under the "Guidance in the matter of Executing BG/LUT" mentioned after Appendix 25 D stands replaced by the following:

9. "Applicant shall have the option to file BG/LUT against each application or a Revolving BG/LUT. The revolving BG/LUT shall be limited to a specific scheme, which means that for an exporter/party filing application for different schemes under the aforesaid laid down guidelines, shall be required to file separate BG/LUT for each scheme. BG/LUT filed in one RA shall not be utilized for BG/LUT to be filed in another RA for different application. The revolving BG/LUT shall remain valid till all the obligations of the party are fulfilled to the 'Full' and 'Final' satisfaction of the Govt. as per policy and till such written consent is communicated to the party or the Guarantor, as the case may be."

This issues in public interest.

P. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.